FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **राहुल खांन** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ रैणी, अलवर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/67/2024 दायर दिनांक 01.07.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2026	पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप सीबीसी रजि0 संख्या RJ-05-GB-9040 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना रैणी से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1968 दिनांक 21.07.2024 के द्वारा न्यायालय हाजा में रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि उक्त वाहन का थाना हाजा के प्रकरण संख्या 373/22 धारा 3, 5, 8, 9 थाना रैणी में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। किन्तु पुलिस थाना सदर दौसा में भी जप्तशुदा वाहन के संबंध में दो मुकदमे क्रमशः 87/22 धारा 379 व 94/22 धारा 379 लम्बित है। थानाधिकारी रैणी की रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी सदर दौसा से जप्तशुदा वाहन के संबंध में अनुशंषा चाही गई। थानाधिकारी सदर दौसा द्वारा पत्रांक 183 दिनांक 11.01.2026 के द्वारा अवगत कराया है कि उपरोक्त विषय एवम् प्रसंग के सन्दर्भ मे निवेदन है कि थाना हाजा के मुकदमा नम्बर 87/22 दिनांक 17.3.2022 जुर्म धारा 379 भादस मे वाद तफ्तीश मुल० श्री राहुल खान पुत्र मजीद खान निवासी कुतकपुर पुलिस थाना बृजनगर जिला डीग राज0 को दि. 05.07.2023 को गिरफ्तार कर तितम्बा सम्पुर्ण चार्जशीट 299/22 दिनांक 28.08.2023 जुर्म धारा 457, 380 भादस मे किता कर दिनांक 07.10.2023 को पेश न्यायालय किया गया। इसी मुकदमा नम्बर 94/22 दिनांक 26.03.2022 जुर्म धारा 379 भादस मे वाद तफ्तीश मुल० श्री राहुल खान को दि. 03.07.2023 को गिरफ्तार कर तितम्बा सम्पुर्ण चार्जशीट 300/22 दिनांक 28.08.2023 जुर्म धारा 457, 380, 109 भादस मे किता कर दिनांक 27.06.2024 को पेश न्यायालय किया जा चुका है। उक्त वाहन RJ-05-GB-9040 से सम्बंधित कोई कार्यवाही शेष नही है। श्रीमान जी यदि वाहन	

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

RJ-05-GB-9040 पिकअप को रिलीज किया जावे तो कोई आपति नही है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं थानाधिकारीयान की रिपोर्ट का अवलोकन किया। जप्तशुदा वाहन का स्वामी प्रार्थी राहुल खांन है। जिसे दैनिक कार्य एवं आजीविका हेतु उक्त जप्तशुदा वाहन की आवश्यकता होती है। थानाधिकारी रैणी द्वारा भी वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना व थानाधिकारी सदर दौसा द्वारा भी जप्तशुदा वाहन के संबंध में कोई कार्यवाही शेष नहीं होना एवं वाहन को रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी अन्तर्गत आर0बी0एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी अन्तर्गत आर0बी0एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। इसी अनुसार प्रार्थी द्वारा सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा प्रस्तुत किया। तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया तथा शर्ते निम्न है कि प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पुलिस थाना थानाधिकारी रैणी जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या RJ-05-GB-9040 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर

जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)